श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 :— 87/2019

दायर दिनांक :— 11.12.2019

अनवान

श्री रामकुंवार पिता श्री किशन दरोगा नि. अमरगढ तह0 जहाजपुर

वादी......

बनाम

तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादी......

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री दीपक सिंह चौहान, वकील वादी

:: निर्णय :: दिनांक 13.07.2020

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम अमरगढ प0 ह0 अमरगढ तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 992/485 रकबा 05.00 बीघा भुमि वादी के खाते एवं कब्जे काश्त में स्थित है। उक्त वर्णित आराजियात वादी को दिनांक 4.08.1989 को जरिये अलोटमेन्ट मिसल सं. 1494/89 को आराजी सं. 485/10 में से 5.00 बीघा भूमि आंवटित की गई एंव वादी को उक्त वर्णित आराजियात का भौतिक कब्जा दिया गया। तभी से वादी उक्त कृषि भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है। वक्त आवंटन वादी को आ.न. 485/10 में कृषि भूमि का कब्जा संभला कर नक्शा तरमीम किया गया जहां पर वादी काबिज होकर उक्त कृषि आराजियात का उपयोग उपभोग कर रहा हैं। दिनांक 18.10.2019 को वादी ने उक्त वर्णित कृषि आराजियात की सीमाज्ञान के लिये पटवार हल्का अमरगढ से नक्शा ट्रेस व नकल प्राप्त की तो वादी की जानकारी में आया कि वादी को वादपत्र में वर्णित आराजियात जहां पर वादी को आवंटन के समय कब्जा दिया गया वहां पर काबिज है परन्तु राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से वादपत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि आराजियात की तरमीम अन्य जगह कर दिया गया है। जिस पर वादी ने राजस्व अधिकारियों से निवेदन किया तो उन्होने कहा कि हम नही कर सकते हैं उपखण्ड न्यायालय से आदेश लाने पर ही नक्शा तरमीम में संशोधन कर सकते है। उक्त वर्णित आराजी पर वक्त आंवटन जिस जगह वादी को 5.00 बीघा भूमि आंवटित कर कब्जा दिया गया था वहां पर वादी काबिज होकर उसी जगह पर निरन्तर काश्त कर रहा है एंव उसी जगह उक्त कृषि आराजियात का राजस्व मानचित्र में तरमीम कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी राज्य सरकार का प्रतिनिधि होकर भूमि धारक है। परन्तु वर्तमान समय में राजस्व जमाबन्दी एवं मानचित्रों का कम्प्युटरीकरण हो रहा है। उक्त वर्णित आराजियात पर वादी वक्त आंवटन से ही काबिज होकर काश्त कर रहा है। इसलिये वक्त आवंटन से ही काबिज

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.09.04 10:58:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

होकर काश्त कर रहा है इसलिये वक्त आंवटन जिस जगह वादी को कृषि आराजियात सुपुर्द की गई है वहां पर राजस्व मानचित्र में उक्त वर्णित आराजियात का तरमीम किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के पारित कराये जाने की मांग की।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। तथा तहसीलदार जहाजपुर को मौके एवं रेकार्ड की स्थिति के संबध रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार जहाजपुर ने अपने पत्र क्रमांक 819 दिनांक 09.07.2020 से मौके एव रेकार्ड की स्थिति की रिपोर्ट भिजवाई गई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उक्त रिपोर्ट में बताया की ग्राम अमरगढ की आ.न. 992/485 रकबा 5.00 बीघा किस्म पडत III खातेदार रामकुंवार पिता श्रीकिशन दरोगा सा. देह खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। जो मौके पर रामकुंवार पिता श्रीकिशन दरोगा काबिज है। एवं आ.न. 992/485 के चारो तरफ डोल लगा रखा है। पश्चिम दिशा में नाला निकला हुआ है। एवं पूर्व दिशा में मदनलाल का कब्जा है। उत्तर दिशा में शिवजी दरोगा का कब्जा है। व दक्षिण में शब्बीर मोहम्मद का कब्जा है।

वकील वादी ने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सवंत 2069 से 2072, नक्शा ट्रेस की प्रति, आंवटन की मिसल की प्रति, सिपुर्दगी नामा की प्रति, आंवटन नक्शा की प्रति पेश किये गये। जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने बताया की ग्राम अमरगढ प0 ह0 अमरगढ तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 992/485 रकबा 05.00 बीघा भुमि वादी के कब्जे अनुसार व आंवटन मिसल के नक्शे अनुसार राजस्व नक्शे में फीट करने कीये जाने की डिक्री फरमाई जावे। मैने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की उक्त वर्णित आराजियात के वादी रेकार्डेड खातेदार है। वादी की खातेदारी भुमि नक्शे में अन्य जगह तरमीम है जबकि वादी का कब्जा उक्त भुमि आंवटन कर सिपुर्दगी की गई जहा पर आंवटित भुमि पर ही कब्जा काश्त है। जिसकी ताईद प्रस्तुत तहसीलदार की रिपोर्ट से होती है। जिससे वादी की खातेदारी भूमि में मौका, कब्जा व रेकार्ड अनुसार तरमीम एवं रेकार्ड में संशोधन किया जाना उचित है। जिसे वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय की जारी की जाती है की ग्राम अमरगढ प0 ह0 अमरगढ तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 992/485 रकबा 05.00 बीघा भुमि की पुर्व तरमीम को विलोपित कि जाकर वादी को आंवटित भुमि की सुपुर्दगी के नक्शे अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना-2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.09.04 10:58:57 IST
Reason: SelfAttested